राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5745/2022

हरबंस लाल वर्मा पुत्र श्री हर गोविंद, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर ए-292, शिक्षा विहार, ए-ब्लॉक, राम नगरिया रोड, जगतपुरा रोड, जयपुर-17 और दिनांक 31/03/2009 को गार्ड मेल/एक्सप्रेस, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, कोटा के पद से सेवानिवृत्त।

----याचिकाकर्ता-आवेदक

बनाम

1. भारत संघ, जरिये महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य जोन, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म.प्र.)
2. मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, कोटा।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री अमित माथुर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(गण) की ओर से : श्री आलम साहनी, अधिवक्ता,
श्री आनंद शर्मा, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

04/02/2025

अवनीश झिंगन, जे [मौखिक]:-

---

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओए') को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 31.03.2009 को गार्ड मेल के पद से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ। दिनांक 28.04.2008 के बिना वेतन अवकाश (इसके बाद 'एलडब्ल्यूपी') को मंजूरी देने वाले आदेश के परिणामस्वरूप, वेतन वृद्धि देने की प्रभावी तिथि वर्ष 1999 से मार्च से बदलकर जुलाई कर दी गई। वेतन वृद्धि देने की तिथि में परिवर्तन इस कारण से था कि नियम के अनुसार, एलडब्ल्यूपी की अवधि को वेतन वृद्धि देने के लिए सेवा अवधि की गणना से बाहर रखा जाना था। वेतन वृद्धि की तारीख में बदलाव ने ठहराव वेतन वृद्धि (इसके बाद 'एसआई' के रूप में संदर्भित) को प्रभावित किया। वेतन वृद्धि के लिए महीने के परिवर्तन के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को 09.12.2010 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर ओए को खारिज कर दिया गया। अधिकरण ने ओए को गुण-दोष के आधार पर और समयबाधित होने के कारण खारिज कर दिया। यह माना गया कि चिकित्सा आधार पर ली गई एलडब्ल्यूपी को वेतन वृद्धि देने के लिए सेवा की गणना से बाहर रखा जाना है, लेकिन याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा कारणों से थी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वेतन वृद्धि का महीना बदलने का आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। दलील यह है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह साबित

हो सके कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा कारणों से नहीं थी। यह तर्क दिया गया है कि एसआई को गलत तरीके से वापस ले लिया गया था। कनिष्ठ अधिक वेतन पा रहे थे और याचिकाकर्ता को वेतन में वृद्धि दी जानी चाहिए थी।

4. इसके विपरीत, वेतन वृद्धि का महीना नियमों के अनुसार बदला गया था। याचिकाकर्ता ने पांच सौ दिनों की एलडब्ल्यूपी का लाभ उठाया। प्रस्तुतीकरण यह है कि वेतन वृद्धि वापस लेने से एसआई देने पर असर पड़ा, जो याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को नियमों में निर्धारित शर्त को पूरा करने पर पहले मिल गया था।

5. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि नियम के अनुसार, चिकित्सा आधार पर ली गई एलडब्ल्यूपी को छोड़कर अन्य एलडब्ल्यूपी को वेतन वृद्धि देने के लिए सेवा अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना है। इसके अलावा, एसआई को अंतिम वेतन वृद्धि देने से एक वर्ष पूरा होने के बाद दिया जाना है, जिसे याचिकाकर्ता वेतन वृद्धि के महीने में बदलाव के कारण पूरा नहीं कर रहा था।

6. याचिकाकर्ता ने एलडब्ल्यूपी देने वाले आदेश के पारित होने के चार साल बाद ओए दायर किया। न तो अधिकरण के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया गया कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा आधार पर ली गई थी। याचिकाकर्ता की एलडब्ल्यूपी से संबंधित रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया था। यह मामला स्थापित करने में विफलता पर कि याचिकाकर्ता द्वारा ओए दायर करने के बाद रिकॉर्ड को नष्ट किया गया था, अधिकरण ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को सही खारिज कर दिया कि ओए के लंबित रहने के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था।

7. यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा आधार पर नहीं थी, निराधार है। प्रतिवादियों पर नकारात्मक भार नहीं डाला जा सकता। यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो और कम से कम प्रथम दृष्टया यह स्थापित करे कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा आधार पर थी। याचिकाकर्ता ने चार साल बाद एक निराधार कथन दिया कि एलडब्ल्यूपी को बाहर रखा जाना था। ओए दाखिल करने में चार साल की देरी ने शिकायत के निर्धारण में बाधा उत्पन्न की क्योंकि इस बीच की अवधि में रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया था।

8. यह दलील कि वेतन वृद्धि के महीने को बदलने का आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था, पहली नज़र में आकर्षक लगती है लेकिन इसमें दम नहीं है। इस प्रस्ताव से कोई असहमति नहीं हो सकती कि मामले को केवल एक औपचारिकता के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए यांत्रिक रूप से वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने **धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी और अन्य [(2015) 8 एससीसी 519]** मामले में यह माना:

> "40. इस संबंध में, हमें एक और अपवाद पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो अदालतों द्वारा उपरोक्त सिद्धांत के लिए तराशा गया है। भले ही अदालत द्वारा यह पाया जाए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, अदालतों ने माना है कि कार्रवाई को रद्द करना और मामले को वापस प्राधिकारियों को भेजना आवश्यक नहीं हो सकता है ताकि उन मामलों

में प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद नया निर्णय लिया जा सके जहां सुनवाई नहीं देने से उस व्यक्ति को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसलिए, नैसर्गिक न्याय के किसी पहलू के हर उल्लंघन से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि पारित आदेश हमेशा शून्य होता है। आदेश की वैधता का फैसला 'पूर्वाग्रह' की कसौटी पर किया जाना है। अंतिम परीक्षण हमेशा एक ही होता है, अर्थात्, पूर्वाग्रह का परीक्षण या निष्पक्ष सुनवाई का परीक्षण।"

47. XX XX XX

"64. ..... उन हस्तांतरितियों के समूह के मामलों को वापस भेजना, जिन्हें नहीं सुना गया था, इसलिए, इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा, खासकर तब जब इस कानूनी सवाल पर सभी प्रभावित पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष और इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिला है। नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना है, न कि गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में किसी भी बदलाव की संभावना के बिना सुनवाई की मात्र औपचारिकता को पूरा करने के लिए। हमारे द्वारा ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति के मद्देनजर, हम, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद

136 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन मामलों को वापस भेजने से बचते हैं।"

9. याचिकाकर्ता इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि नियमों के अनुसार चिकित्सा आधार को छोड़कर एलडब्ल्यूपी को वेतन वृद्धि देने के लिए गिनी जाने वाली सेवा की अवधि से बाहर रखा जाना है। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष भी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि एलडब्ल्यूपी चिकित्सा आधार पर थी और इसलिए, मामले को वापस भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

10. वेतन वृद्धि देने के लिए महीने के परिवर्तन को बरकरार रखा जा रहा है और यह सीधे एसआई देने को प्रभावित करता है। जुलाई के महीने से वेतन वृद्धि मिलने के कारण याचिकाकर्ता वेतन वृद्धि मिलने से एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं करने के कारण एसआई देने के लिए पात्र नहीं था।

11. कनिष्ठों के अधिक वेतन पाने के आधार पर वेतन में वृद्धि की प्रार्थना को सही खारिज कर दिया गया। पांच सौ दिनों की एलडब्ल्यूपी का लाभ उठाने के कारण याचिकाकर्ता को एसआई देने में देरी हुई और कनिष्ठ पहले एसआई के हकदार हो गए और वेतन में अंतर आ गया।

12. चूंकि हमने गुण-दोष के आधार पर अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है, इसलिए ओए के समयबाधित होने के मुद्दे पर विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है और यह निष्प्रभावी हो गया है।

13. आक्षेपित आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(प्रमिल कुमार माथुर), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

हिमांशु सोनी/120

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: **हाँ**

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़